फर्द अहकाम

यालय _____

सरकार बनाम धूलिया वगै०

दमा संख्या/वर्ष 88/2019 : _____/20_____

०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7/7/21	पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उप०। वादी तहसीलदार थाना की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत कर बताया कि वाद पत्र मे वर्णित ख०न० 310/1 रकबा 10.18 बीघा वाले ग्राम मुकुन्दपुरा त० थाना मे प्रतिवादीगण द्वारा डाली गई बनरी हटा ली गई है। मौके पर काश्त की जा रही है। खसरा गिरदावरी 2015 से 18 मे जिस काश्त दर्ज होना पाया गया है। अतः पटवारी हल्का व RO थाना की रिपोर्ट व खसरा गिरदावरी के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजन नही पाये जाने से वाद पत्र धारा 177 RTA चलने योग्य नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। फीस वसूल होकर दर्ज नम्बर से कम है। फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है।	